प्रमोद कुमार सक्सेना

बनाम

भारत संघ व अन्य

(रिट पिटिशन क्रिमिनल नंबर 58/2007)

19 सितंबर 2008

[सी. के. ठक्कर व डी. के. जैन जेजे.]

जमानत-10 साल से अधिक समय से विचाराधीन कैदी जिस पर आरोप है कि उसने कम्पनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होते हुए कई निर्दोष निवेशकों के साथ करोड़ों रूपये का धोखा किया। उसके खिलाफ 6 अलग-अलग राज्यों में कुल 48 आपराधिक मामले भा.द.स. व एन.आई. एक्ट में दर्ज हुए-उसने अनुच्छेद-32 के तहत रिट याचिका दायर करते हुए उसे उसके संवैधानिक अधिकारों के आधार पर उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया। अभिनिर्धारित याचिकाकर्ता मामले के विशेष परिस्थितियों के तहत सीमित राहत प्राप्त करने का हकदार है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह 10 वर्ष से अधिक समय से जेल में है यह निर्देश दिया गया कि यदि उसकी ओर से जमानत का आवेदन पेश किया जाता है और उसके द्वारा विचारण न्यायालय के सन्तुष्टिप्रद समाधान के मुचलके पेश कर दिये जाते है तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे-उसके द्वारा की गई अन्य प्रार्थना की भा.द.स. की धारा 406,409,420 सपठित धारा 120-बी व धारा 138 एन.आई. एक्ट के सभी प्रकरणों का विचारण एक साथ किया जावे, की प्रार्थना अस्वीकार की गई।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436 ए-इस प्रकरण में कैदी 1998 से

अभिरक्षा में बन्द है तथा उसके द्वारा धारा 436 ए द.प्र.स. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसे जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया लेकिन द.प्र.स. की धारा 436 ए सन् 2006 में लागु की गई जो इस मामले पर लागु नहीं होती है क्योंकि इस धारा को भूतलक्षी प्रभाव से लागु नहीं किया जा सकता है।

अभियोजन के अनुसार रिट याचिकाकर्ता जो कि निवेशक कम्पनी में मैनेजिंग डायरेक्टर था, ने कई निदोष व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी करते हुए करोड़ों रूपए की धोखाधड़ी की जिस पर उसके खिलाफ 6 अलग-अलग राज्यों में धारा 406, 409, 420 भा.द.स. व एन.आई. एक्ट की धारा 138 में कुल 48 मुकदमें दर्ज हुए।

याचिकाकर्ता पर आरोपित अपराध अजमानतीय होने से उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। याचिकाकर्ता अगस्त 1998 से लगभग 10 साल से न्यायिक अभिरक्षा में है, याचिकाकर्ता द्वारा संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 20, 21 के तहत न्यायालय में आवेदन प्रस्तूत किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए ताकि याचिकाकर्ता जेल से बाहर आ सके तथा अपनी प्रतिरक्षा कर सके

याचिकाकर्ता ने न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा उसकी कई प्रकरणों में जमानत ले ली गई है लेकिन वह इन प्रकरणों में जेल से बाहर नहीं आ सका है क्योंकि उसके विरूद्ध अन्य प्रकरणों में अनुसंधान चल रहा है या उसे विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा रहा है। उसे यदि किसी प्रकरण में दोषसिद्ध भी किया जाता है तो भी वह सजा उसके द्वारा अभी तक भुगती गई सजा से कम ही होगी, इसलिये उसे जमानत पर रिहा किए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जावें।

याचिकाकर्ता ने धारा 436-ए द.प्र.सं. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह भी निवेदन

किया कि उसके द्वारा आधी अवधि की सजा भुगत ली गई है इसलिए उसे स्वयं के मुचलके पर रिहा किया जावे।

आंशिक रूप से याचिका स्वीकार की जाकर निम्न निर्देश जारी किए गए-

अभिनिर्धारित 1. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए याचिकाकर्ता कुछ अनुतोष प्राप्त करने का हकदार है। यह सही है कि याचिकाकर्ता पर कई आपराधिक मुकदमें दर्ज होकर विभिन्न स्थानों पर विचाराधीन है लेकिन दुसरा यह तथ्य भी महत्वपुर्ण है की याचिकाकर्ता लगभग 10 वर्षों से जेल में है। प्रथमदृष्टया यह भी सही है कि यदि याचिकाकर्ता को जेल से रिहा कर दिया जाता है तो वह उसके विरूद्ध दर्ज प्रकरणों में प्रतिरक्षा कर सकेगा तथा पुनः रूपये देने की व्यवस्था भी कर सकेगा। इस प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए याचिकाकर्ता को सीमित राहत ही दी जा सकती है जहां तक सभी आपराधिक मुकदमों को संयोजित किए जाने का प्रश्न है, इस प्रकार का अनुतोष प्रदत्त नहीं किया जा सकता है।

2. जहां तक धारा 436-ए द.प्र.स. का प्रश्न है, यह धारा संशोधन द्वारा सन् 2005 में जोडी गई थी जो सन् 2006 से लागु हुई थी जिस कारण उक्त धारा को भूतलक्षी प्रभाव से लागु नहीं किया जा सकता है इसलिए यह इस मामले में लागु नहीं होती है।

3. इस प्रकरण के सभी तथ्यों व परिस्थतियों को देखते हुए कि याचिकाकर्ता पिछले 10 सालों से जेल में है न्यायहित में निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं-

ए) यदि याचिकाकर्ता विचारण न्यायालय में जमानत का आवेदन करें तो न्यायालय द्वारा उसे संतुष्टिप्रद समाधान की राशि का मुचलका प्रस्तुत कर दिये जाने पर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

बी) यदि याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया है या उसे गिरफ्तार किया जाना है तो अनुसंधान अधिकारी संतुष्टिप्रद राशि का मुचलका लेकर उसे जमानत पर रिहा करेगा।

सी) उक्त सभी अनुतोष याचिकाकर्ता उन मामलों में ही प्राप्त करने का हकदार है जिसमें वह इम्पेरियर फोरेस्टी काॅपरेशन लिमिटेड में डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर होने के कारण उसके विरूद्ध दर्ज किए गए है।

डी) उक्त अनुतोष याचिकाकर्ता को तभी प्रदत्त किया जावेगा जब वह न्यायालय में इस बात की अंडरटेकिंग लिखकर देगा कि वह न्यायालय में उपस्थित रहेगा या जब भी न्यायालय उसे तलब करेगा तब वह सुनवाई हेतु न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा।

ई) यदि याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय में उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से माफ़ किए जाने पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो सक्षम न्यायालय यदि उचित हो तो उसे कुछ शर्तों के तहत या बिना स्वीकार कर सकेगा।

एफ) यदि याचिकाकर्ता के पास स्वयं का पासपोर्ट हो तो वह पुलिस अधिकारी के समक्ष जमा कराएगा। पुलिस अधिकारी उसे प्रकरण के अंतिम निस्तारण तक अपने पास रखेगा।

जी) यदि अनुसंधान को लगता है की याचिकाकर्ता द्वारा जमानत का दुरूपयोग किया गया है तो वह किसी भी मामले में याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये गये जमानत मुचलके को निरस्त किये जाने या उनमें अन्य शर्ते अधिरोपित किये जाने हेतु आवेदन कर सकेगी।

पंजाब राज्य और अन्य. बनाम राजेश स्याल (2002) 8 एससीसी 158 पर भरोसा।

वी के शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2000) 9 एससीसी 449 (2002) 8 एससीसी 158 में खारिज कर दिया गया

नरिंदरजीत सिंह साहनी और अन्य। बनाम भारत संघ एवं अन्य (2002) 2 एससीसी 210.संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

(2000) 9 सेकंड 449	को खारिज कर दिया गया	पैरा 25
(2002) 8 सेकंड 158	पर भरोसा किया गया	पैरा 27
(2002) 2 सेकंड 210	संदर्भित	पैरा 30

डॉ. एन. एम. घटाटे, प्रमित सक्सेना, अमित यादव और यश अपीलकर्ता की ओर से पाल ढींगरा।

गोपाल सुब्रमण्यम एएसजी, रत्नाकर दास, कुमार कार्तिकेय, रणविजय, जतिंदर कुमार भाटिया, अरुणेश्वर गुप्ता, नरेश के. शर्मा, नवीन प्रकाश, सुषमा सूरी, अशोक भान, सुभाष कौशिक, डी.एस. महरा, संदीप सिंह और अणुव्रत शर्मा उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

सी.के ठक्कर, जे. 1. नियम- हमने इन मामले में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर रिट याचिका को अंतिम सुनवाई हेतु लिया गया।

2. वर्तमान याचिका, याचिकाकर्ता द्वारा संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत

प्रस्तुत की गई है जिसमें निम्न प्रार्थना की गई-

इसलिए अत्यंत आदरपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय डी

न्यायालय इस पर कृपा करेगा

ए) परिशिष्ट-14 में उल्लेखित मामलों के संबंध में याचिकाकर्ता को जमानत के बिना या व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा किए जाने हेतु कोई निर्देश या आदेश जारी करना।

बी) परमादेश रिट याचिका के तहत यह निर्देश दिया जावे कि यदि याचिकाकर्ता इम्पीरियल फोरेस्टी काॅपरेशन लिमिटेड में प्रबंधक निदेशक की हैसियत में किसी मामले में गिरफ्तार किया गया है तो अधिकारी के समक्ष

उसके द्वारा संतुष्टिप्रद मुचलका पेश कर दिए जाने पर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

सी) परमादेश की याचिका में याचिकाकर्ता के विरूद्ध दर्ज सभी मामलों को निश्चित समय सीमा में शीघ्र निपटान करने हेतु निर्देश जारी किया जावे।

डी) ऐसे मामलों में जहां याचिकाकर्ता को पेश नहीं किया गया है उसे प्रोडक्शन वारंट की तारीख से अभिरक्षा में रखे जाने का आदेश पारित किया जावे तथा उस अवधि को धारा 436 ए द.प्र.स. में वर्णित जमानत के प्रावधानों पर लागु किया जावे।

ड़) ऐसा अन्य कोई आदेश पारित किया जावे जिसे न्यायालय इस प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के परिपे्रक्ष्य में उचित समझता है।

3. इस मामले में याचिकाकर्ता अगस्त 1998 से 10 साल से अधिक समय से जिला जेल बरेली में बन्द होकर एक विचाराधीन कैदी है जिसके द्वारा संविधान के

अनुच्छेद 14, 19, 20, 21 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के तहत यह रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

4. याचिकाकर्ता को धारा 406, 409, 420, सपठित धारा 120-बी भा.द.स. व धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत 6 अलग-अलग राज्यों में कुल 48 आपराधिक मामलों में अभियोजित किया गया है।

5. याचिकाकर्ता के अनुसार इम्पीरियल फोरेस्टी काॅपरेशन लिमिटेड जिसे आगे कम्पनी कहा गया है, को 19 अप्रेल 1990 को निगमित किया गया था। याचिकाकर्ता उक्त कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक था। कार्यभार के दौरान कम्पनी ने कई स्थानों पर शाखा कार्यालय खोले थे। याचिकाकर्ता ने आवेदन किया कि उसने 30 अक्टूबर 1994 को प्रबंधक निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया था और बाद में उसने 15 फरवरी 1998 को निदेशक के पद से भी इस्तीफा दे दिया था।

6. याचिकाकर्ता का यह कथन रहा है कि जब वह कम्पनी में निदेशक या प्रबंध निदेशक के पद पर कार्य कर रहा था तो किसी भी निदेशक की ओर से उन्हें जारी चैक के समायोजन/समाशोधन के बारे में उसे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। हालांकि बाद में पूरे देश में निवेश कम्पनियों की वित्तीय स्थिति अनिश्चित हो गई। निवेशकों को संदेह हो गया और वे अपने धन-वापसी के लिए वापस कम्पनी पहुंचे जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी बर्बाद हो गई। याचिकाकर्ता चुंकि पूर्व में प्रबंध निदेशक व निदेशक था वह भी कई मामलों में आरोपी बनाया गया व उसके खिलाफ 6 अलग-अलग राज्यों में कुल 48 मामले दायर किये गए।

7. याचिकाकर्ता के अनुसार उसे अगस्त 1998 में गिरफ्तार किया गया था और आज तक वह जेल में है। कुछ मामलों में तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश ही नहीं किया गया जिस कारण वह जमानत प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सका है। इतने साल बीत

जाने के बाद भी उसके विरूद्ध विचारण प्रारम्भ नहीं हुआ है। हालांकि कुछ मामलों में उसके विरूद्ध आरोप तय हो चुके हैं, लेकिन सैंकड़ों गवाहों के बयान होना बाकी है जिस कारण इस मामले की सुनवाई में कई साल लगेंगे। कुछ अन्य मामलों में तो अभियोजन पक्ष के गवाह भी नहीं आए हैं जिस पर सम्बन्धित न्यायालयों द्वारा गवाहों की उपस्थिति के लिए जमानती या गैर-जमानती वारंट जारी किए गए है। कुछ मामलों में याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा कर दिया गया है और वह मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों का पालन करने को तैयार है लेकिन उसके विरूद्ध दर्ज अन्य मामलों में जमानत नहीं होने के कारण वह जेल से बाहर आने में असमर्थ है।

8. याचिकाकर्ता द्वारा यह भी कहा गया कि उसने काफी पहले निदेशक व प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उसके खिलाफ कोई मामला ही नहीं बनता है। यह केवल इसलिए है कि अभी मामलों की सुनवाई और निर्णय नहीं हुआ है जिस कारण वह अभी जेल में है।

9. वैकल्पिक रूप में याचिकाकर्ता द्वारा यह भी कहा गया कि भले ही याचिकाकर्ता को कुछ मामलों में अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है व उसे कारावास की सजा दी गई है लेकिन विचाराधीन कैदी के रूप में उसे 10 साल से भी अधिक समय हो चुका है इसलिए उसके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निर्देश दिया जावे ताकि वह जेल से बाहर आकर अपनी प्रतिरक्षा भी कर सके।

10. 18 मई 2007 को इस न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए गए थे, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता जेल में ही था रजिस्ट्री को मामले को अंतिम सुनवाई के लिए रखने का निर्देश दिया गया। तद्नुसार मामला 18 अगस्त 2008 को हमारे समक्ष रखा गया है।

11. उत्तरदाताओं ने शपथ पत्र पेश किया कि प्रतिवादी संख्या-1 गृह मंत्रालय भारत सरकार के अवर सचिव के मामले में अपने माध्यम से कहा है कि भारत संघ के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है और ना ही संघ के खिलाफ विशिष्ट प्रार्थना की मांग की गई है।

12. द.प्र.स. संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा धारा 436-ए को शामिल किया गया जो यह प्रावधानित करता है कि किसी भी विचाराधीन कैदी द्वारा यदि उस पर आरोपित अपराध के लिए अभिनिर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि की आधी अवधि भुगत ली गई हो तो उसे जमानत के साथ या उसके बिना उसके स्वयं के मुचलके पर छोड़ दिया जावेगा।

13. अभिसाक्षी द्वारा यह भी कहा गया कि जेल-संविधान की सातवीं अनुसूची की द्वितीय सूची की प्रविष्टी संख्या चार पर होकर राज्य का विषय है। इसलिए भारतीय जेल अधिनियम 1894 के तहत जेलों का प्रशासन राज्य प्राधिकारियों को करना है। राज्य सरकारों ने जेल नियमावली भी बनाई है और उचित सरकार को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का आवश्यकता है।

14. उत्तरप्रदेश राज्य के डिप्टी ई.ओ.डब्ल्यु. मेरठ के द्वारा एक शपथ पत्र पेश किया गया और कहा गया कि याचिकाकर्ता इम्पीरियल फोरेस्टी कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक होकर सक्रिय रूप से कम्पनी से जुड़े हुए था। कम्पनी की उत्तर प्रदेश में कई शाखाएं और मण्डल कार्यालय खोले थे और कम्पनी द्वारा कई मार्केटिंग मैनेजर व सेल्स एग्जीक्यूटिव नियुक्त किये गये थे जिनके द्वारा जनता से धन एकत्रित कर सावधि जमा (फिक्स डिपोजिट) रसीदें जारी की जाती थी। याचिकाकर्ता ने बड़े पैमाने पर जनता से करोड़ों रूपये ले लिए लेकिन निवेशकों को परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर रूपयों का भुगतान नहीं किया जिस पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कई प्रथम सूचना

रिपोर्ट दर्ज की गई और इस तरह के आपराधिक मामले दर्ज किए गए।

15. अभिसाक्षी ने यू.पी. राज्य में लंबित मामलों की सूची भी दी और कहा कि उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुये याचिकाकर्ता को जेल भेज दिया गया था और अब वह बाहर आने में असमर्थ है।

16. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल लंबी अवधि तक जेल में रहना अवैधानिक नहीं होगा और यदि याचिकाकर्ता ने अपराध किया है तो उसे जेल में रहना होगा और विचाराधीन कैदी के रूप में भी उसके जेल में रहने से संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं होगा। यदि याचिकाकर्ता ने अजमानतीय अपराध किया है और जिन अपराधों में वह जेल में है तो उसकी हिरासत अवैधानिक नहीं होगी और वह जमानत पर छोड़े जाने का अधिकारी भी नहीं होगा।

17. इसी तरह का शपथ पत्र सीओ सीटी देहरादून उत्तराखंड द्वारा भी प्रस्तुत किया गया व जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हुईं थी और जिसके अनुसरण में ही उसे हिरासत में लिया गया है।

18. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

19. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कथन किया है कि याचिकाकर्ता एक दशक से जेल में है। उसके खिलाफ 6 राज्यों में विभिन्न मुकदमें दर्ज हुए हैं। हालांकि याचिकाकर्ता को कुछ मामलों में जमानत पर रिहा किये जाने के आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन वह बाहर आने में असमर्थ है क्योंकि अन्य मामलों में या तो जांच जारी है या याचिकाकर्ता को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि याचिकाकर्ता को कुछ मामलों में कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है तो उसे कुछ वर्षों के लिए जेल में रहना पड़ सकता है, इसलिए यदि यह मान भी लिया जावे कि

याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया जावेगा तो भी याचिकाकर्ता द्वारा अब तक भुगती गई कैद की सजा उस सजा से अधिक नहीं हो सकती है जो उसे दी जा सकती है, इसलिए याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु उचित निर्देश जारी किए जावे।

20. याचिकाकर्ता ने हमारा ध्यान धारा 436-ए द.प्र.स. की तरफ भी आकर्षित किया जो एक विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि प्रदान करती है। इसलिये याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आपराधिक मामले के विचारण एवं अंतिम निपटान होने तक उसे उसके निजी मुचलके पर रिहा किए जाने का आदेश दिए जाने का निवेदन किया।

21. दूसरी तरफ अधिवक्ता प्रतिवादी ने कथन किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा विभिन्न स्थानों पर निर्दोष निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की गई है। उसने कम्पनी के प्रबंध निदेशक के तौर पर करोड़ों रूपए इकट्ठा किए व जिन रूपयों को बाद मे लौटाने से इंकार कर दिया जिस पर उसके विरूद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए गए है जिसके लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार है। याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अपराध अजमानतीय होने से पुलिस अधिकारियों द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया है और उसे कानूनन हिरासत में लिया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता जांच अधिकारी द्वारा किए गए वैद्य कार्यवाई के खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर सकता और इसके लिए वह संविधान के अनुच्छेद 21 का भी सहारा नहीं ले सकता है, चाहे याचिकाकर्ता को कुछ मामलों में जमानत पर रिहा कर दिया गया है लेकिन उसके खिलाफ लंबित अन्य मामलों को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है।

22. आगे यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को उस पर आरोपित कई मामलों में जिनका दोषसिद्ध घोषित किया जा सकता है। ये सभी मामले अलग-अलग है, इसलिए संभव है कि उसे इन मामलों में कई सालों तक जेल में रहना पड़ेगा।

23. द.प्र.स. की धारा 436-ए के इस मामले में लागु होने के संबंध में यह उल्लेखनीय है की यह धारा सन् 2005 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी एवं जो संशोधन जुन 2006 में लागु हुआ था। यह संशोधन याचिकाकर्ता के मामले में लागु नहीं होता है और यदि लागु होता तो भी याचिकाकर्ता द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए मामलों को देखते हुए वह उस पर लागु नहीं किया जा सकता है।

24. दोनों पक्षों के अधिवक्तागणों को सुनने के बाद एवं संलग्न शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजात् को देखने के बाद हमारे मत में याचिकाकर्ता इस मामले के तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर कुछ राहत पाने का हकदार है। यह सही है कि अभियोजन पक्ष के आरोप के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा विभिन्न अपराध किए गए हैं और वे मामले विभिन्न स्थानों पर लंबित है। लेकिन यह तथ्य कि वह पिछले 10 साल से जेल में है को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दी गई यह दलील भी सही है कि यदि याचिकाकर्ता जेल से बाहर आता है तो वह राशि के पुनः भुगतान की व्यवस्था करने में सक्षम हो सकता है और उसके खिलाफ चल रहे मामलों में भी अपना बचाव कर सकता है।

25. इस संबंध में अधिवक्ता याचिकाकर्ता ने हमारा ध्यान भारत संघ व अन्य (2012) 9 एसीसी में दो न्यायाधीशों द्वारा दिए गए फैसले की तरफ आकर्षित किया। वी.के. शर्मा के मामले में याचिकाकर्ता कई राज्यों में धारा 406, 409, 420 भा.द.स. में आरोपी था। वहां भी कुछ मामलों में उसकी जमानत हो जाने के बाद भी याचिकाकर्ता को अन्य न्यायालय द्वारा जारी किए गए वारंटों में जेल में रहना पड़ा उस मामले में भी याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद- 32 के तहत याचिका दायर कर उसके संविधान के अनुच्छेद- 21 के तहत मौलिक अधिकार के उल्लंघन होना बताया था और जिसमें रिट निर्देश के आदेश की मांग कर उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन

किया था और याचिकाकर्ता ने उसके खिलाफ विभिन्न राज्यों में लंबित सभी मामलों की जांच सी.बी.आई. से कराई जाकर उन्हें एक ही न्यायालय में समेकित किए जाने का निवेदन किया था। इस न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुने जाने के बाद याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई सभी मांगे नहीं दी लेकिन उसे निम्नलिखित राहतें दे दी थी-

1. यदि याचिकाकर्ता को जे.वी.जी. समूह के कम्पनियों के प्रबंध निदेशक के रूप में किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने वाला अधिकारी उसे जमानत पर छोड़ देगा यदि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसे अधिकारी के समक्ष संतुष्टिप्रद बाॅन्ड पेश कर देवे।

2. ऐसी राहत उसे यह सुनिश्चित करने के बाद दी जावे कि वह संबंधित न्यायालय में या संबंधित मामले में विचारण के दौरान उपस्थित रहेगा, हालांकि व्यक्तिगत छूट के लिए ऐसा व्यक्ति संबंधित न्यायालय में आवेदन कर सकता है बशर्ते कि उसका अधिवक्ता ऐसी तिथियों पर उपस्थित होता रहेगा और किसी विशिष्ट व्यक्ति की पहचान के संबंध में विवाद नहीं करेगा। इसके अलावा आरोपित जब भी न्यायालय में उसकी उपस्थिति अनिवार्य होगी तब वह उपस्थित होगा।

3. हम याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर विभिन्न अदालतों में लंबित सभी मामलों को एक ही अदालत या एक से अधिक अदालतों में उपयुक्त उच्च न्यायालयों में जाने की अनुमति देते हैं।

4. यह आदेश तभी प्रभावी होगा जब याचिकाकर्ता अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करवाएगा। विद्वान अधिवक्ता श्री शांति भूषण ने व्यक्त किया कि याचिकाकर्ता ने पारित आदेश के अनुसार पहले ही किसी अन्य न्यायालय में अपना पासपोर्ट जमा करा दिया है, उस स्थिति में वह इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष एक शपथ पत्र प्रस्तुत कर उन्हें इस बाबत् संतुष्ट कर सकता है और रजिस्ट्रार जनरल उस स्थिति

के संबंध में संबंधित जेल अधिकारियों को सूचित कर सकता है।

5. हम यह स्पष्ट करते हैं कि अनुसंधान एजेंसी याचिकाकर्ता द्वारा जमानत का दुरूपयोग करने पर उसकी जमानत रद्द कराऐ जाने हेतु आवेदन कर सकेगी।

26. इस प्रकार इस न्यायालय ने वी.के. शर्मा के मामले में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को राहत दी की अभियुक्त लगभग 16 महिने से जेल में बंद था। न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता कंपनी के प्रबंध निदेशक/निदेशक के रूप में किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया जाता है और अभियुक्त द्वारा यदि उसके समक्ष संतुष्टिप्रद बाॅन्ड प्रस्तुत कर दिया जाता है तो ऐसा अधिकारी उसे जमानत पर छोड देगा।

27. हालांकि अधिवक्ता उत्तरदाताओं ने पंजाब राज्य और अन्य में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय का हवाला दिया गया। वी राजेश सयाल 2002, 8 एस.सी.सी. 158 मामले में प्रतिवादी एक कम्पनी का पूर्व निदेशक था। कम्पनी ने जमीन खरीदने के लिए आम जनता से भारी रकम इकट्ठा की एवं वादा किया कि यह रकम परिपक्वता अवधि के बाद वापस कर दी जाएगी लेकिन पैसा वापस नहीं किया जिस पर उसके विरूद्ध शिकायत की गई तो राज्य के सतर्कता विभाग ने प्रतिवादी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

28. अभियोजन पक्ष के अनुसार कम्पनी द्वारा आम जनता से करोड़ों रूपये इकट्ठे किए गए थे। अभियुक्त द्वारा धारा 482 के तहत रिट याचिका प्रस्तुत कर कार्रवाई को रद्द करने की प्रार्थना की थी तथा आगे यह भी निवेदन किया था कि सभी मामलों की सुनवाई एक ही न्यायालय में हो। हालांकि वी.के. शर्मा के मामले में इस न्यायालय ने यह कहा था कि आदेश को मिसाल नहीं माना जा सकता है। लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश को मिसाल मानकर आरोपी की याचिका मंजूर कर ली और लंबित

मामलों को स्थानान्तरित कर दिया। पंजाब राज्य ने आरोपी के खिलाफ विशेष न्यायालय की अदालत में मामला दायर किया। उक्त कार्रवाई को राज्य द्वारा इस न्यायालय में चुनौती दी गई।

29. संहिता में वर्णित प्रावधानों विशेष रूप से आरोप तय करने और मुकदमें के संचालन कर विचार करने के उपरान्त सभी मामलों को समेकित करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है क्योंकि ऐसा निर्देश विधि के प्रावधानों के विपरीत होगा। धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी उच्च न्यायालय किसी प्राधिकारी को कानून के विपरीत कार्य करने का निर्देश नहीं दे सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस न्यायालय के पास किसी मामले या मामले के पक्षों के बीच पूर्ण न्याय के लिए अनुच्छेद 142 में आदेश पारित करने की व्यवस्था है लेकिन यह भी संदिग्ध है कि उक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश पारित किया जा सके। न्यायालय ने वी.के. शर्मा के मामले में यह माना है कि विभिन्न अपराधों के लिए अलग-अलग न्यायालयों में लंबित मामलों को एक ही न्यायालय में समेकित करना कानून के अनुरूप नहीं है।

30. नरेन्द्रजीत सिंह साहनी बनाम भारत संघ व अन्य 2002, 2 एस.सी.सी. 210 में न्यायालय ने यह माना है कि यदि किसी आरोपी ने अपराध किया है तो उसे जेल में रहना होगा व अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में शिकायत नहीं कर सकते।

31. जहां तक धारा 436-ए दं.प्र.सं. का प्रश्न है। दं.प्र.सं. संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा इसे जोड़ा गया है जिसके अनुसार-

"436-ए अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी को न्यायिक अभिरक्षा में रखा जा सकता है- जहां किसी व्यक्ति ने इस संहिता के तहत जांच विचारण, जांच

पूछताछ की अवधि के दौरान किसी भी कानून के तहत सिवाय जिसमें कि मौत की सजा हो, उस कानून के तहत उस अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास के अवधि तक के आधे की अवधि के लिए हिरासत में रखा गया है उसे अदालत द्वारा निजी मुचलके पर लोक अभियोजक को सुनने के बाद जमानत पर छोड़ दिया जावे।

बशर्ते कि न्यायालयए जनता को सुनने के बाद अभियोजक और उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिएए ऐसे व्यक्ति को एक अवधि तक हिरासत में रखने का आदेश दें उक्त अवधि के आधे से अधिक समय तक या उसे रिहा कर दें ज़मानत के साथ या उसके बिना व्यक्तिगत बांड के बजाय जमानतरू

बशर्ते कि ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में नहीं होगा जांचए पूछताछ या परीक्षण की अवधि के दौरान हिरासत में लिया गया कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक के लिए उस कानून के तहत उक्त अपराध के लिए प्रावधान किया गया है।

स्पष्टीकरण- जमानत देने के लिए इस धारा के तहत हिरासत की अवधि की गणना करते समय अभियुक्त द्वारा कार्यवाई में की गई देरी की अवधि को उक्त हिरासत की अवधि से बाहर रखा जावेगा।"

32. वस्तुतः तर्क में यह कहा गया कि ऐसे कई उदाहरण थे जहां कई विचाराधीन कैदियों को उस पर आरोपित अपराध के लिए विहित की गई कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक समय तक जेल में रखा गया था। उपचार के रूप में धारा 436-ए को उक्त प्रावधान में शामिल किया गया कि जहां किसी ऐसे अपराधी के अलावा कोई विचाराधीन कैदी जिसकी सजा के लिए मौत निर्धारित की गई, आधी अवधि तक हिरासत में रखा गया है उसके निजी मुचलके पर रिहा किया जाना चाहिए। यह भी प्रावधानित किया गया कि किसी भी मामले में विचाराधीन कैदी को कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक अवधि से हिरासत में नहीं रखा जाएगा जिसके लिए उसे

दोषी ठहराया जा सके।

33. इस प्रकार प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्तागण प्रथमदृष्टया यह तर्क सही साबित करने में सफल रहे हैं कि उक्त प्रावधान धारा 436-ए के तहत सीधे इस मामलों के तथ्यों पर लागु नहीं होता है।

34. हालांकि याचिकाकर्ता के 10 साल से अधिक समय से जेल में रहने के तथ्यों को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है, इसलिए वह सीमित रूप से राहत पाने का हकदार है। जहां तक सभी मामलों को एकीकरण कर एक ही न्यायालय में उनकी सुनवाई किए जाने का सवाल है ऐसी राहत उसे प्रदान नहीं की जा सकती है। वी.के. शर्मा के मामले में इस तरह की राहत दी गई थी जिसे राजेश सयाल के मामले में खारिज कर दिया गया है।

35. इस प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए याचिकाकर्ता की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम निम्न निर्देश जारी करते हैं-

1. यदि याचिकाकर्ता विचारण न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन करेगा तो विचारण न्यायालय का संतुष्टिप्रद राशि का मुचलका पेश कर दिए जाने पर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा कर दिया जावेगा।

2. यदि याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया है लेकिन उसके गिरफ्तार किए जाने की संभावना या आवश्यकता है तो अनुसंधान अधिकारी याचिकाकर्ता द्वारा मुचलका पेश कर दिए जाने पर जमानत पर रिहा कर देगा।

3. याचिकाकर्ता केवल उन्हीं मामलों में जिनमें वह इम्पीरीयल फारेस्टी कार्पोरेशन लिमिटेड कम्पनी में प्रबंधक/प्रबंध निदेशक की हैसियत में गिरफ्तार किया

गया है, में जमानत प्राप्त करने का हकदार होगा।

4. याचिकाकर्ता द्वारा यह शपथ-पत्र दिए जाने पर कि जब भी न्यायालय उसे तलब करेगा तब वह न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा, तभी उसे जमानत पर रिहा किया जावेगा।

5. यदि याचिकाकर्ता द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए आवेदन किया जाता है तो विचारण न्यायालय किन्हीं नियमों एवं शर्तों के अधीन उसके आवेदन को स्वीकार कर सकेंगें।

6. यदि याचिकाकर्ता के पास पासपोर्ट है तो उसे पुलिस अधिकारी को सुपुर्द करेगा जिसे पुलिस अधिकारी प्रकरण के अंतिम निस्तारण तक पुलिस अभिरक्षा में सुरक्षित रखेगा।

7. जांच ऐजेंसी याचिकाकर्ता की जमानत रद्द करने या शर्तों में परिवर्तन करने हेतु विचारण न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा यदि उसे पता चलता है कि याचिकाकर्ता द्वारा उसे दी गई जमानत का दुरूपयोग किया जा रहा है।

8. उक्त सभी निर्देश इस मामले के विशेष तथ्यों एवं परिस्थितियों जिसमें कि वह पिछले 10 साल से निरन्तर जेल में है, को ध्यान में रखकर जारी किए जा रहे हैं।

36. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह निर्देश उभयपक्ष के अधिकारों या उनके मध्य उपजें किन्ही विवादों पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेंगे।

37. इस प्रकार यह रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।